ISSN No. : 2394-0344 **REMARKING :** VOL-1 * ISSUE-1*JUNE-2014

नये परिवेश में ग्राम सभाओं की भूमिका

विपिन कुमार राय
बी0 आर0 ए0 बी0 यू0
राजनीतिक शास्त्र विभाग
मुजफ्फरपुर

एनी जोया
शोध छात्रा,
राजनीतिक शास्त्र विभाग,
बी आर ए बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर

सारांश

वैश्वीकरण के दौर में कैशिनो कैपिटलिज्म के प्रवक्ताओं ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को अप्रासंगिक करार देते हुए उसे आर्थिक विचार–विमर्श के दायरे से जैसे देश निकाला ही दे दिया है। मगर अमरीकी सब–प्राइम, संकट से उत्पन्न वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद अब जबकि विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोश, संयुक्त राष्ट्र संघ और डब्ल्यूटीओ जैसी वैश्विक संस्थाओं ने अब तक चली आ रही आर्थिक मान्यताओं, प्रक्रियाओं और नियामक ढांचे पर खुद ही सवालिया निशान लगा दिया है और गहरी आत्म समीक्षा के दौर से गुजर रही है, साथ ही डब्ल्यूईएफ और जी–20 के जरिये नयी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर राजनीतिक सहमति जुटाने के प्रयास तेज हो गए हैं।

मुख्य शब्द : कैशिनो कैपिटलिज्म, अंतरराष्ट्रीय, अवधारणा, अर्थव्यवस्था, कार्यक्रम

प्रस्तावना

भारत में गांधी की यह अवधारणा, पुरातन ही सही लेकिन एक बार फिर नये परिदृश्य में नयी व्यवस्था के साथ प्रासंगिक लगने लगी है। विश्व आर्थिक संकट से निपटने में भारत की आर्थिक मजबूती उसकी बाह्य आद्घातों को सहने की क्षमता माना जा रहा है। अब इसकी जिम्मेदारी लाखों–करोड़ों ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं को अपने कंधों पर लेनी चाहिए।

कैसे? यह सवाल जटिल है। प्रक्रियागत ढांचे और सरकार के पास अभी तक उपलब्ध मॉडलों के जरिये इस दिशा में आंशिक तौर पर सफलता की जमीन तैयार हो सकती है। मगर समग्र रूप से नहीं। जाहिर है, इस दिशा में अब नये मॉडल की जरूरात गंभीरता के साथ सब तरफ महसूस की जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था बाह्य आघातों को सहने की हमारी क्षमता को वास्तव में हमारे अनुमानों से भी अधिक स्तर तक बढ़ा सकती है। ध्यान रहे कि आज भी लगभग 65 फीसदी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है यानी कृषि उनके लिए व्यवसाय नहीं बल्कि आजीविका का जरिया है।

अवधारणा के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हम पाऐंगे कि वे बदलते आर्थिक–सामाजिक परिदृश्य के साथ ही अपनी प्रासंगिकता खोने लगते हैं और समाज अपनी परिवर्तित खोने लगती हैं और समाज अपनी परिवर्तित जरूरतों के मुताबिक नयी अवधारणाएं गढ़ता है लेकिन अवधारणाओं की विकास प्रक्रिया में कई बार अवधारणा की मूल भावना के अनुरूप नवीन परिस्थितियों में ढालकर उसे समाजोपयोगी बनाया गया है। हमें मौजूदा समय में 'ग्राम स्वराज' अवधारणा को इसी तथ्य के आलोक मे देखने चाहिए।

ग्राम सभाओं की भूमिका पर विचार करते हुए यह देखना होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कायाकल्प के लिए मौजूदा तंत्र क्या है? पहला निजी क्षेत्र का आर्थिक प्रसार जो अपने मुनाफे पर टिका है और इस बहाने अधिकांश रोजगार सेवा बक्षेत्र में सृजित हो रहे हैं। इसमें कृषि आय बढ़ाने वाला आईटीसी का ई–चौपाल कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक हस्तक्षेप का नया एवं अनूठा प्रयोग माना जा रहा है। सरकारी ढांचे के तहत ई–पंचायत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम और भारत निर्माण जैसी फ्लैगशिप योजनाएं हैं। स्वयं सहायता समूह मॉडल सहित अन्य स्वरोजगार योजनाएं हैं। जाहिर है कि अब ग्राम सभाओं को इसी उपलब्ध तंत्र के जरिये या उसके बीच आर्थिक ग्राम स्वराज यानी ग्रामीण जीवन सुरक्षा और उसके स्तर के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करना होगा।

नेतृत्व कौन करेगा ? केंद्र सरकार या राज्य सरकारें ? सरकार मॉडल देने के साथ सरकारी तंत्र के जरिये ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का काम कर रही है। लेकिन ऐसे आर्थिक विकास माडलों/योजनाओं पर गौर करेंगे तो खुद अपवाद छोड़कर अधिकांश रूप से अपरिहार्य तौर पर काफी निराशाजनक तस्वीर उभारना सामान्य हो गया है। लगभग सभी ऐसे मॉडल आम आदमी की दहलीत तक पहुंचते–पहुंचते या तो दम तोड़ बैठते हैं या फिर

बंदरबांट का शिकार होकर काफी हद तक अपना अस्तित्व खो देने की कगार पर पहुँच जाते हैं। ऐसे में विकल्प सिर्फ यह है कि इन उपलब्ध व्यवस्थाओं के बीच खुद गाम सभाएं अपना मोर्चा संभालें और इसके लिए सरकार ई–पंचायत कार्यक्रम के जरिये सघन जागरूकता अभियान संचालित कर सकती है। इसके तहत हम क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ विशेष तौर पर कृषि क्षेत्र के अनुबंध कृषि से अलग कुछ कारपोरेटाइजेशन की दिशा में कोई कंसोर्टियम मॉडल तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर दर्जनभर ग्राम सभाएं एक मंच पर आकर ब्लॉक स्तर पर ऐसी सामूहिक रणनीति बना सकती हैं जिसके जरिये स्व रोजगार और कृषि आय में कई गुना बढ़ोतरी संभव है। सामान्य विकास कार्यक्रामें के लिए ऐसा मॉडल पहले से मौजूद तो है लेकिन बहुत ही कमजोर और बंदरबांट मानसिकता का शिकार है।

लगभग 70 फीसदी की ग्रामीण आबादी वाले भारत में ग्राम सभाओं को महत्वपूर्ण आर्थिक विकास औजार के रूप में परिवर्तित करना संभव है। जरूरत है तो उसके मौजूदा संस्थागत ढांचे को मजबूत करने और नयी जिम्मेदारी से लैस करने की। सरकार के पास ऐसी दर्जनभर योजनाएं हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और उसे गति देने के लिए चलाई जा रही हैं मगर अभी तक इनसे इच्छित परिणाम सामने नहीं आ पा रहे हैं जैसा कि इन सभी योजनाओं का मूल उद्देश्य है। उसके लिए ग्राम सभाओं के स्तर पर एकीकृत प्रयास की जरूरत है। चाहे वह कंर्सोटियम आधारित हो या फिर मौजूदा संस्थागत ढांचे को नयी जिम्मेदारियों से युक्त करते हुए उसे ऐसा ही स्वरूप देकर, लेकिन इसका विरोध खुद योजना आयोग कर रहा है। सरकार की इन सभी योजनाओं को उसके मूल उद्देश्य और भावना के मुताबिक कार्यान्वित किया जाए तो निस्संदेह आने वाले पांच–दस सालों में ग्रामीण भारत का कायाकल्प अवश्यम्भावी है।

इन योजनाओं में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार कानून गारंटी, स्व सहायता समूह, भारत निर्माण जैसी फ्लैगशिप योजना के विभिन्न विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राममीण स्वरोजगार योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, असंगठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की योजनाएं, न्यू पेंशन योजना और इसी के तहत असंगठित मजदूरों के लिए सरकारी सब्सिडी आधारित पेंशन योजना, बैंकिंग व अन्य वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक की ओर से तैयार और विभिन्न सरकारी बैंकों का बिजनेस कोरेसपांडेंट मॉडल और तमाम कृषि विकास परियोजनाएं मौजूद हैं।

यही नहीं सरकार ग्राम सभा की कार्यकारी निकाय ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय ज्ञान से युक्त करने, तकनीकी ज्ञान व सुविधाओं तक पहुंच का अंतर खत्म करते हुए ई–पंचायत कार्यक्रम के जरिये विभिन्न नागरिक सुविधाओं को दहलीज पर ही उपलब्ध कराने का लागत से देश की लगभग 2,32,700 ग्राम पंचायतों में सीएससीसानी समान सुविधा केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई है जिसे तीन साल के अंदर देशव्यापी स्तर पर पूरा कर लिएजाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे केंद्रों को पंचायत स्तरीय भारत निर्माण केंद्रेां के रूप में स्थापित करने का फैसला किया गया है। इसी के साथ मनरेगा, सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। दरअसल, केंद्र सरकार ने राज्यवार क्षेत्रीस नेटवर्क कार्यक्रम को लागू किया है। कुल 3,334 करोड़ रूपये की लागत वाले इस कार्यक्रम के जरिये राज्यों में मुख्यालय स्थापित करते हुए जिले, ब्लॉक और पंचायतों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ई–पंचायतों के जरिये तमाम नागरिक सुविधाओं–स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, सड़क व प्रदूषित जल निकासी व्यवस्था, पथ प्रकाश व्यवस्था, जन्म व मृत्यु पंजीकरण, शौचालयों का निर्माण, मकान कर, जल कर और भूमि उपस्कर जमा करने जैसी नागरिक सुविधाएं दहलीज पर उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है।

ग्राम सभाएं इन कार्यक्रमों को एकीकृत स्वरूप में प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं, प्रक्रियागत कमियां की शिकार हैं जिसे रोकने में 'आधार' कार्यक्रम से विशेष मदद मिलने की उम्मीद है। इसके जरिये नागरिकों को पहचानपत्र इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में दिए जाने की योजना है। ग्राम सभा जनकल्याण को केंद्र में रखते हुए इसे बेहतर व त्वरित ढंग से कार्यान्वित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है जिससे शासन में सुधार संभव हो सके। मतलब विभिन्न सरकारी योजनाओं का इच्छित लाभ आम लोगों तक पहुंचे और लक्षित सब्सिडी उपयुक्त पात्रों को हासिल हो सके।

ग्राम सभाएं एकीकृत रूप से ये सारे काम सुनिश्चित करा पाएं, विभिन्न सरकारी योजनाओं का पारदर्शी वाजिब कार्यान्वयन सुनिश्चित हो, इसके लिए हर स्तर पर, पंचायत स्तर तक जिला प्रशासन का प्रतिनिधित्व अनिर्वाय किया जा सकता है। जिला प्रशासन इसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी विकास अधिकारियों को दे सकता है और इसके बाद विभिन्न ब्लॉकों और जिलों की विकास सूचकांक व्यवस्था तैयार की जा सकती है।

इसी ढांचे के अंतर्गत ग्राम सभाएं कृषि आय को बढ़ाने व स्वरोजगार यानी उद्यमिता विकास में अहम भूमिका अदा कर सकती है। सरकार की ओर से विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रम पहले से लागू है जिनका अपेक्षित लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। ग्राम सभाएं कृषि आय बढ़ाने के लिहाल से ई–चौपाल माडल को सामने रख सकती है। स्थानीय सरकारें ऐसे अन्य कारपोटेड मॉडलों को ग्राम सभाओं से जोड़ सकती है। इनके जनिये किसानों को उन्नत बीज, तकनीक मृदा उर्वरता बढ़ाने, पैदावार बढ़ाने, बाजार की मांग के अनुरूप फसलों को बढ़ावा देने और सीधी खरीद को बढ़ावा देने का काम होता है। इससे बिचौलियों की मुनाफाखोरी पर अंकुश लगता है।

ग्राम सभाएं जिला प्राासन की मदद से ई–पंचायत मॉडल के जरिये ई–चौपाल जैसा मॉडल संयुक्त रूप से संचालित कर सकती है। यही नहीं इसका विस्तार करते हुए ग्राम सभाएं गोदाम निर्माण के क्षेत्र में कदम रख सकती है जिससे फल–सब्जी संरक्षण और बाजार को देखते हुए किसान अपनी फसलों को स्थानीय स्तर पर बेचने की व्यवस्था भी कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. रिचर्ड बी ० ग्रेग्ग, द पावर ऑफ नोंविओलेन्स, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस , अहमदाबाद १६३८. प ० 54
2. ऐम ० के ० गांधी, फॉर पाकिफिस्ट्स, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस , अहमदाबाद १६४६. प ८८
3. हरिजन ,१६ मई १६३६
4. राज. फेलिक्स "कन्टेम्पोररी डेलोमेंट इकोनॉमिक्स" नई सेंट्रल बुक एजेंसी वराइट. लिमेंटड. कोल्कता इंडियन
5. द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, द पब्लिकेशन डिवीज़न गोल, नई डेल्ही, वेरियस वोलुमस.
6. डॉ०वर्मा वी ० पी ० , 'मॉडर्न इंडियन पोलिटिकल थॉट' ल ० न ० अग्रवाल एजुकेशनल पब्लिशर्स, आगरा –3
7. योजना. पब्लिकेशन डिवीज़न, गोल नई डेलही .
8. कुरुकेशेता, पब्लिकेशन डिवीज़न, गोल नई डेलही .
9. द फ्यूचर ऑफ सर्वोदय, श्रमदान मूवमेंट, मोरटुवा श्री लंका, १६६४. प ० 2
10. सर्वोदय, डेटलएफ कांटोवस्य, विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, नई डेलही, १६८०. प ० ऑफ

Offer for Sponsorship of First Information Broucher of Seminars

Terms & Conditions

As you know, S.R.F. is working in the field of higher education. To improve the quality of education & to promote its goal, S.R.F. has decided to sponsor the first information brochure (multicolor) of the seminar organized by the college/departments, if they are currently subscriber of the journals published by S.R.F.

If your college /department have not taken annual subscription of journals till date, please subscribe the above to facilitate the offer. (Subscription form is attached).

Eligibility

If your college/department is already an annual subscriber of our journals, you may apply for the sponsorship.

In case of college subscription, only one sponsorship will be given during the year for the seminar/workshop going to be organized either by college or by any department.

In case of department subscription any department of the college who has taken yearly subscription of journals, may apply individually.

How to apply

Please send request in given format duly signed by the Principal (in case of college subscription) or HOD (In case of departmental subscription).

How to design Brochure

Please send softcopy of brochure after design it on A4 size in multicolor concept in attached format in coral draw-13. Also, you will have to ensure that one leaf of brochure is reserved for advertisement of S.R.F.

What you have to do

- Be ensure that your college or department has taken subscription for current year, if not, you may recommend becoming the subscriber of our journals.
- In case of college subscription ensure that no other department of college has already send request for the sponsorship against this subscription.
- Please send duly signed request in our format for our final consideration.
- After our confirmation, please design the brochure with our advertisement and send it in softcopy after carefully proof reading.
- We will dispatch you the printed brochure on your dispatch cost.